समयबद्ध

संख्या-1/337/26-2-2014-100(1)/2013

प्रेषक,

सुनील कुमार
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त,
   उ0प्र0।
2. समस्त जिलाधिकारी,
   उ0प्र0।

समाज कल्याण अनुभाग-2 लखनऊ: दिनाँक 11 फरवरी, 2014

विषय: समाजवादी पेंशन योजना के अन्तर्गत लक्ष्य निर्धारण करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र सं0-264/26-2-2014-100(1)/2013 दिनांक 07 फरवरी, 2014 का सन्दर्भ ग्रहण करनें का कष्ट करें, जिसके द्वारा समाजवादी पेंशन योजना के संचालन के संबंध में मार्ग दर्शक सिद्धांतों के आधार पर क्रियान्वयन हेतु निर्देश निर्गत किये गये है।

2- इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उक्त शासनादेश द्वारा प्रत्येक जनपद के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र हेतु पृथक-पृथक अल्पसंख्यक/अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य के लिए जनपदवार लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अतः इस योजना के अन्तर्गत जनपद के लक्ष्य का निर्धारण करते समय वर्ष 2011 की जनगणना में उल्लिखित आंकड़ों का यथा सम्भव प्रयोग किया जाय, किन्तु यदि उक्त आंकड़े उपलब्ध न हो तो ऐसी स्थिति में वर्ष 2001 की जनगणना में उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर कार्यवाही की जाये।

3- प्राप्त सूचना के अनुसार सभी वर्ग के लोगों की जनसंख्या की सूचना ग्राम स्तर पर उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में सभी वर्ग के लाभार्थियों के लक्ष्य का निर्धारण करने के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर परिवार/कुटुम्ब रजिस्टर, उपलब्ध राजस्व अभिलेखों में अंकित आँकड़ों एवं अन्य श्रोतों का प्रयोग किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त जिलाधिकारीगण अपने स्तर पर राजस्व विभाग, ग्राम विकास विभाग एवं पंचायतीराज विभाग के फील्ड स्तरीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर विकास खण्डवार/ग्रामवार आबादी का आंकलन

http://shasanadesh.up.nic.in

करते हुए वर्गवार ग्राम पंचायत/नगर निकाय वार लक्ष्य निर्धारित करेंगे ताकि शासन द्वारा जनपद हेतु निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति सुनिश्चित हो सके।

कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

सुनील कुमार
प्रमुख सचिव।

पृ0 सं0- संख्या-337 (1)/26-2-2014-100(1)/2013 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
2- निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
3- समस्त नगर आयुक्त, उ0प्र0।
4- समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
5- विभागीय पुस्तिका।

आज्ञा से,

दीनानाथ
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in